कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

कमांकः– स्टोर/अनुपयोगी सामान/नीलामी/2026/ 1102 – 1110 दिनांकः– 24.03.26

• नीलामी सूचना संख्या 01 •

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू परिसर में रखे ई–वेस्ट उपकरण (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर आदि) पुस्तक मूल्य राशि रू. 8,56,688.11/– को दिनांक 13.04.2026 को दोपहर 12:30 बजे, कार्यालय परिसर में नीलाम किया जाना है। उपर्युक्त ई–वेस्ट सामग्री की नीलामी में भाग लेने हेतु राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ई–वेस्ट रिसाईकलिंग हेतु पंजीकृत/वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत, जो कम्प्यूटर उपकरणों से संबंधित विक्रय, रखरखाव का कार्य संधारित करते हों, होना अनिवार्य है। उक्त नीलामी हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं–

नीलामी की शर्तेः–

1. नीलामी योग्य सामग्री की नीलामी "जहां है, जैसी है" की स्थिति में की जायेगी।
2. नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन एवं नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल उन्हीं फर्मों को योग्य माना जायेगा, जिनके पास राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ई–वेस्ट रिसाईकलिंग का वैध प्रमाण पत्र/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। उक्त प्रमाण पत्र नीलामी से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
4. बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व अमानत राशि रू. 17,134/– कार्यालय के रोकडपाल को दिनांक 13.04.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक नकद जमा करवाना होगा। बिना अमानत राशि के बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
5. अधिकतम बोलीदाता के नाम से बोली छूटेगी।
6. नीलामी की कार्यवाही कार्यालय में उपस्थित सक्षम अधिकारियों के समक्ष की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी के पश्चात् एक तिहाई राशि कार्यालय में तुरन्त जमा करवानी होगी एवं शेष राशि आगामी तीन दिवस में जमा करवाकर सामग्री की सुपुर्दगी ली जानी आवश्यक होगी। उक्त राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. जमा करवाकर चालान कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही सामग्री की सुपुर्दगी की जायेगी।
8. तीन दिवस में सुपुर्दगी नहीं लिये जाने की स्थिति में बोली की जमा एक तिहाई राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. नीलामी हेतु लगाई जाने वाली बोली कर रहित होगी एवं समस्त प्रकार के करों का दायित्व क्रेता का होगा।
10. अध्यक्ष (नीलामी समिति), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू को किसी भी समय नीलामी प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा।

–Sd–
अध्यक्ष (नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चूरू (राज.)

कमांकः– स्टोर/अनुपयोगी सामान/नीलामी/2026/ 1110 दिनांकः– 24.03.26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कोषाधिकारी, चूरू
2. नोटिस बोर्ड – मुख्यालय पर स्थित न्यायालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, जिला चूरू
3. नाजिर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को इस निर्देश के साथ कि नीलामी दिवस 13.04.2026 को नीलामी स्थल पर उपस्थित रहें तथा बयाना राशि जमा करें व नीलामी राशि प्राप्त करें।
4. स्टोर कीपर, जिला न्यायालय, अपर जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ कि नकारा सामग्री मय सूची के साथ नीलामी स्थल पर दिनांक 13.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित रहें।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को उक्त नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष (नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चूरू (राज.)

कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

कमांकः– स्टोर/अनुपयोगी सामान/नीलामी/2026/ 1111 – 1119 दिनांकः– 24.03.26

• नीलामी सूचना संख्या 02 •

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू परिसर में रखे अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा सामान पुस्तक मूल्य राशि रू. 4,13,942/– को दिनांक 15.04.2026 को दोपहर 12:30 बजे, कार्यालय परिसर में नीलाम किया जाना है। उपर्युक्त अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा सामान की नीलामी में भाग लेने हेतु फर्म का जी.एस.टी. पंजीकृत होना अनिवार्य है। उक्त नीलामी हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं–

नीलामी की शर्तेः–

01. नीलामी योग्य सामग्री की नीलामी "जहां है, जैसी है" की स्थिति में की जायेगी।
02. नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन एवं नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
03. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल उन्हीं फर्मों को योग्य माना जायेगा, जिनके पास जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। उक्त प्रमाण पत्र नीलामी से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
04. बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व अमानत राशि रू. 8,280/– कार्यालय के रोकड़पाल को दिनांक 15.04.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक नकद जमा करवाना होगा। बिना अमानत राशि के बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
05. अधिकतम बोलीदाता के नाम से बोली छूटेगी।
06. नीलामी की कार्यवाही कार्यालय में उपस्थित सक्षम अधिकारियों के समक्ष की जायेगी।
07. सफल बोलीदाता को नीलामी के पश्चात् एक तिहाई राशि कार्यालय में तुरन्त जमा करवानी होगी एवं शेष राशि आगामी तीन दिवस में जमा करवाकर सामग्री की सुपुर्दगी ली जानी आवश्यक होगी। उक्त राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. जमा करवाकर चालान कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही सामग्री की सुपुर्दगी की जायेगी।
08. तीन दिवस में सुपुर्दगी नहीं लिये जाने की स्थिति में बोली की जमा एक तिहाई राशि जब्त कर ली जायेगी।
09. नीलामी हेतु लगाई जाने वाली बोली कर रहित होगी एवं समस्त प्रकार के करों का दायित्व केता का होगा।
10. अध्यक्ष (नीलामी समिति), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू को किसी भी समय नीलामी प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा।

अध्यक्ष (नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चूरू (राज.)

कमांकः– स्टोर/अनुपयोगी सामान/नीलामी/2026/ 1119 दिनांकः– 24.03.26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कोषाधिकारी, चूरू
2. नोटिस बोर्ड – मुख्यालय पर स्थित न्यायालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, जिला चूरू
3. नाजिर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को इस निर्देश के साथ कि नीलामी दिवस 15.04.2026 को नीलामी स्थल पर उपस्थित रहें तथा बयाना राशि जमा करें व नीलामी राशि प्राप्त करें।
4. स्टोर कीपर, जिला न्यायालय, अपर जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ कि नकारा सामग्री मय सूची के साथ नीलामी स्थल पर दिनांक 15.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित रहें।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को उक्त नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष (नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चूरू (राज.)